

# फर्द अहकॉम

(नियम 26)

56/6

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रामसर व मुकाम रामसर

जुम्मा कर्फे बनाम रबीस कर्फे

किस्म मुकदमा..... 212 ..... मुकदमा नम्बर..... 198 ..... /2025

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11/6/25	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री <u>कमाल खान</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>212</u> राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेपॉर्टेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>30/6/25</u> को पेश हो।</p>	
30/6/25	<p>पत्रावली माफ पत्रे ठुई प्रार्थी वकील का सिफारिश देखा, से न की करी के वकील मसफर कासी कोटार तथा प्रतिवादी सफ्ता 8 की कोट के डेवाला बेरिवाल कोटार तथा वकासवनामा पत्रावली जिसे शरिफा पत्रावली जिसे पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>11/7/25</u> को पेश हो</p>	
11/7/25	<p>पत्रावली माफ पत्रे ठुई सिफारिश 8 की कोट के डेवाला पत्रावली जिसे 10 व 15 के वकालत</p>	



तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अहकाम  
हुक्म को  
में जारी

08/4/26

पुनः बली काज फेशा डरी प्राची विपारी  
 वलीव उपपलियु न्यायालय सग्य में  
 पुनः पुनः उपसे वीनधाट कावजे  
 लगान के बावजूद भी प्राची विपारी  
 वलीव उप नहीं एवं कोर्ट उहेन से पूर्व  
 भी कंसिम बाट भावजे लगान के  
 वार भी प्राची विपारी वलीव कोर्ट की  
 उपलियु नहीं उहेल काहिले कोरा है कि  
 प्राची विपारी गलत उस वामे कोर्ट  
 पैटरी नहीं कोहले है लिहका अमेडन  
 खाहिले कजम खजरी विसम पैटरी  
 ने खाहिले कोरा जग्रा है पुनः बली केवल  
 हुमा (ब्लेक) नंबर सुकम से हुक्म जलियुसा

